राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०। 08-09-2014 आरोपी अनुपस्थित।

> आरोपी के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट अदम तामिल मय फरारी पंचनामा के तामिल कुनिंदा प्रधार आरक्षक अशोक चौधरी नं0 240 थाना गढ़ी ने इस रिपोर्ट के पेश किया कि आरोपी का दिये पते पते पर तलाश एवं पूछताछ किये तो पाया कि वह दिये पते पर नहीं रहता है, काफी दिनों से फरार हो गया है। साथ ही तामिल कुनिंदा ने निकट भविष्य में नहीं मिलना भी व्यक्त किया।

> अतः प्रकरण का अवलोकन एवं तामिल कुनिंदा की रिपोर्ट को देखते हुए आरोपी को फरार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

> प्रकरण में आरोपी फरार घोषित होने से स्थाई गिरफतारी वारंट जारी किया ्रतु लार ्राखेल किया जावे। (सिराज अली) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहरू जावे एवं प्रकरण को अभिलेखागार में सुरक्षित रखने हेतु लाल स्याही से प्रकरण के पृष्ठ पर टीप अंकित की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज हो। ैप्रकरण का विधिवत् अभिलेखागार दाखिल किया जावे।